

OFFICE ORDER

Sub: Constitute of Internal Complaint Committee for Protection of Women from Sexual Harrashment at Workplace (ICC) of CRC, Bhopal-reg.

In pursuance of Hqtrs. letter no. Estt/CRC-Bhopal/2023/14472 dated 26.09.2023; an Internal Complaints Committee is constituted for the Protection of Women against Sexual Harassment at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 in the following composition at this Centre: -

1. Mrs. Poonam Sachdev, Lecturer in Occupational Therapy – Chairperson
2. Dr. Indra Bhushan Kumar, Asst. Prof. in Clinical Psychology – Member
3. Dr. Poonam Singh, Lecturer in Clinical Psychology (Outsourced) – Member Secretary
4. Dr. Narendra Kumar, Administrative Officer - Member
5. Dr. Nisha Dubey- Memer (External Expert)
6. Students representative (Female) – Member (As nominated by students' yearly basis)

The committee will attend the Complaint/Grievances as received and placed for calling the meeting by inviting the external member occasionally for its inclusion. The Member Secretary with periodic intervals open the ICC Complaints Box and suggestion box and bring to the notice of Chairperson, if any complaint found for further needful action.

Sd/-
(Dr. Ganesh Arun Joshi)
Asst. Prof. in PMR/ME &
Officer-in-Charge

To:

1. Mrs. Poonam Sachdev, Lecturer in Occupational Therapy – Chairperson
2. Dr. Indra Bhushan Kumar, Asst. Prof. in Clinical Psychology – Member Secretary
3. Dr. Poonam Singh, Lecturer in Clinical Psychology (Outsourced) – Member
4. Dr. Narendra Kumar, Administrative Officer - Member
5. Dr. Nisha Dubey- Memer (External Expert)

Copy to:

1. The Director (Offtg.), Ali Yavar Jung National Institute of Speech & Hearing Disabilities (Divyangjan), K.C. Marg, Bandra Reclamation, Bandra (West), Mumbai -400 050.
2. Admin Section
3. Accounts Section
4. Office Order

कार्यालयीन आदेश

विषय: महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक (उत्पीडन, प्रतिषेध और निवारण) प्रतितोष के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति के गठन बावत (ICC) बावत |

अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, मुंबई के पत्र क्रमांक Estt/CRC-Bhopal/2023/ 14472 दिनांक 26.09.2023; अनुपालन में महिलाओं के कार्य-स्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिशोध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत निम्नलिखित अधिकारियों की समिति का गठन किया जाता है :-

1. श्रीमती पूनम सचदेव, व्याख्याता व्यावसायिक उपचार – अध्यक्ष
2. डॉ. इंद्र भूषण कुमार, सहायक प्राध्यापक चिकित्सा मनोविज्ञान – सदस्य
3. डॉ. पूनम सिंह, व्याख्याता चिकित्सा मनोविज्ञान, सदस्य सचिव
4. डॉ. नरेंद्र कुमार, प्रशासनिक अधिकारी – सदस्य
5. डॉ. निशा दूबे, पूर्व प्रोफेसर, कानूनी अध्ययन और अनुसन्धान, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल – आमंत्रित सदस्य
6. छात्र प्रतिनिधि – बैठक में महिला छात्र प्रतिनिधि (सदस्य) – केवल विशेष छात्र के मामले में बुलाया जाएगा

उपरोक्त समिति प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु समिति बैठक में बाहरी सदस्य को आमंत्रित करके शिकायतों का निराकरण करेगी/ आवधिक अन्तराल के बाद आईसीसी शिकायत बॉक्स और सुझाव बॉक्स सदस्य सचिव की देख-रेख में खोला जाएगा। यदि कोई शिकायत हो तो उसे अध्यक्ष के ध्यान में लाया जाएगा ताकि उस पर आवश्यक कार्यवाही समिति की बैठक में की जा सके।

Sd/-

डॉ. गणेश अरुण जोशी

सहायक प्राध्यापक भौतिक चिकित्सा/ वैद्यकीय शिक्षा एवं प्रभारी अधिकारी

1. श्रीमती पूनम सचदेव, व्याख्याता व्यावसायिक उपचार – अध्यक्ष
2. डॉ. इंद्र भूषण कुमार, सहायक प्राध्यापक चिकित्सा मनोविज्ञान – सदस्य सचिव
3. डॉ. पूनम सिंह, व्याख्याता चिकित्सा मनोविज्ञान, सदस्य
4. डॉ. नरेंद्र कुमार, प्रशासनिक अधिकारी – सदस्य
5. डॉ. निशा दूबे, पूर्व प्रोफेसर, कानूनी अध्ययन और अनुसन्धान, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल

प्रतिलिपि:

1. निदेशक, अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, मुंबई
2. प्रशासन विभाग
3. लेखा विभाग
4. गार्ड फाइल